

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1)नविवि/ 11/2020विविध

जयपुर, दिनांक: 23 FEB 2021

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 3()नविवि/ 11/2020 दिनांक 04.03.2020 द्वारा श्री विष्णु कुमार गुप्ता, तत्कालीन वरिष्ठ नगर नियोजक (पद विरुद्ध), नगर विकास न्यास कोटा को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक, जयपुर में किया गया था।

इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच को प्रभावित किये बिना श्री विष्णु कुमार गुप्ता को निलम्बन से बहाल करते हुए इनका पदस्थापन उप नगर नियोजक, मुख्यालय, जयपुर के पद पर एतद्वारा किया जाता है। इनकी निलम्बन अवधि का नियमितीकरण इनके विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच कार्यवाही में अंतिम निर्णय होने पर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-S/-
(त्रिभुवनपति)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा मुख्य नगर नियोजक।
6. रक्षित पत्रावली।

उ३

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय